(148)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग - 3509 - I 16

मुकेश तनय राजाराम राय,

निबासी ग्राम नारगुढ़ा, तह0 एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

................आवेदक

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

2– मजीरा तनय मनुवा बसोर ,

निबासी ग्राम मामौन, तह0 एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमग जिला द्वारा प्र0 क0 06/स्व0 निग/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनां 22/03/2016 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 0 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 02 व ग्राम मामौन, तहसील टीकमगढ़, स्थित भूमि खसरा नंबर 546/2 रकवा 0.539 हैक्टेयर व पटटा कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 02/06/1976 के आधार पर दिनां 30/07/1976 को तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रदान किया गया था। जिसके आधार प उसका नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हो गया था। जो बर्ष 1993–9 तक दर्ज रहा। तदुपरांत पटवारी हल्का द्वारा खसरा रोस्टर के दौरान अनावेदक 02 का न बिना किसी सक्षम अधिकारी के छोड़ दिया गया। जिसके आधार पर नाम दर्ज कराने वा अनावेदक 02 द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया।

3– यह कि उपरोक्त आवेदनपत्र को तहसीलदार महोदय द्वारा प्र0 व 23/अ–6/2013–14 पर दर्ज करके, अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/01/2014

R- 3509-I/16

जिला- हरिद्वार

20/6/17

आवेदक [illegible]
प्रार्थी उपस्थित होकर लिखकर दिया
कि वह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता
है अतः प्रकरण आदेश से समाप्त
किया जाता है

[illegible]